22.12.2025 प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थी एकपक्षीय। प्रार्थीगण वकील ने दौरान बहस निवेदन किया कि ग्राम पतोतरों नाड़ी तहसील पचपदरा की खेत मूल खसरा संख्या 500, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 948/500 रकबा 30 बीघा व खसरा नम्बर 944/500 रकबा 8 बीघा व खसरा नम्बर 947/500 रकबा 40 बीघा व रास्ता खसरा नम्बर 949/500 रकबा 5.13 बीघा कायम हुआ। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 944/499 व 948/500 है तथा खसरा नम्बर 947/500 प्रतिवादी का है। विप्रार्थी ने अपने स्तर से आधीन भूमि की अलग गलत तरमीम करवा दी गई। जिसके कारण प्रार्थीगण की रकबे से कम अधिक तरमीम कर दी गई है। जिसके कारण प्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्राप्ति हो रही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और निवेदन कीया कि मौका रिपोर्ट में जो विभाजित कार्यवाही की गलत तरमीम होना का उल्लेख है अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कीया जाकर विधानसार तरमीम निरस्त कर मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरुस्ती की जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन कीया तथा पत्रावली का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मुख्य कथन है कि मूल खसरा नम्बर 500 के विभक्त होकर खसरा नम्बर 947/500, 948/500, 949/500 कायम हुए। उक्त खसरात की तरमीम रिकॉर्ड से विपरीत जाकर गलत किए जाने को बावत अपास्त कर रेकर्ड (जमाबंदी) मुताबिक पुनः तरमीम की जावें। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा यह कहीं स्पष्ट नहीं कर पाए कि मूल खसरा नम्बर 500 का विभाजन किस प्रकार से हुआ था अर्थात विभाजित भूमि के खसरा नम्बर किस आधार पर किए गए, जो कि प्रार्थी पक्ष को स्पष्ट किए जाने आवश्यक थे। इसके अलावा प्रार्थी पक्ष द्वारा मूल खसरा नम्बर 500 से विभक्त होने बाबत् कोई दस्तावेजात पेश नहीं

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

किए गए हैं जिनसे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विवादित भूमि की तरमीम किस आधार पर एवं किस प्रकार प्रार्थी पक्ष अपने आवेदन पत्र को साबित नहीं कर पाया है इसके अलावा मौका फर्द दिनांक 05.7.2024 में कहीं स्पष्ट विवरण नहीं है, कि तरमीम अशुद्ध होने का क्या आधार रहा है इस प्रकार उक्त मौका फर्द पर गौर किया जाना न्याय के लिए सटीक आधार नहीं है, क्योंकि प्रार्थी पक्ष को अपना आवेदन अपने दस्तावेजी कागज सबूतों के आधार पर साबित करना होता है, जो कि प्रार्थी पक्ष साबित नहीं कर पाया है प्रार्थी पक्ष अपना आवेदन अस्पष्ट हेतुक के आधार पर लाए जाने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र अस्पष्ट हेतुक के आधार पर होने एवं दस्तावेजी कागज से सबूत करने में असफल रहने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली बाद तकमील हुजार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा